

मूल वाद में डिक्की
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **बी.दासर**
पीठासीन अधिकारी **मनीषा लेखा**

उनवान
बनाम **पद्मानाथ कांड**

दावा बाबत
मुकदमा नंबर:-
निर्णय दिनांक:-

वादी की ओर से **शुलाताम** की व प्रतिवादी की ओर से **पद्मानाथ** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **5/6/18** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **मनीषा लेखा** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्की दी जाती है कि :-

वादी का दावा पत्र पढ़ने राजीनामा व तहसीलदार बी.दासर द्वारा प्रस्तुत विनाश उपलब्ध इस पत्र के तहत डिक्की जारी किया जाता है कि वाद उत्तरे के त. 30 में से उत्तरी नरफ, का 2.8025 हेक्टेयर 2008-18 में से उत्तरी नरफ का 0.8221 हेक्टेयर वाद शुलाताम के लिये कल का त. 30 में से

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख **5/6/18** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(**मनीषा लेखा**)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5. रूपयों पर पलीडर की फीस 6. कमीशनर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमीशनर की फीस	
जोड़		जोड़	

* अंतिम तरफ की 2.8138 हेक्टर कस. 181 में से 0.8220 हेक्टर अलग की
 सं. । पड़ताम के हिस्सा अलग अलग 5 रजिस्ट्रार अलग अलग का
 रजिस्ट्रार । उताकि हिस्सा विभिन्न सख्या के रजिस्ट्रार । विरज
 उताक व नकशा अंतिम डिग्री का भाग रहे । अंतिम डिग्री की पलका हे
 नकशा की डाक के अलग से लिखा जावे । पलका के अंतिम अंक
 अंका - अंका पलका । अंतिम अंक डिग्री 5/6/18 को से
 के अंका के अंका के अंका ।

उपखण्ड अधिकारी
 बीदासर (चूक)

